उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ/पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

संख्या: एफएस–1076/2016(281) दिनांक:जुलाई 9, 2016

सेवा में,

मेसर्स रतन हाउसिंग डेवलेपमेन्ट लि0,
113/70, स्वरूपनगर,
जनपद– कानपुर नगर।

विषय:– **प्लाट सं0–719 पार्ट से 731पार्ट, 747 से 749 पार्ट, 753 पार्ट, 757 पार्ट के अन्तर्गत ग्राम बैदानी परगना बिल्हौर, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर में प्रस्तावित बहुमंजिली समाजवादी आवास योजना द्वारा बहुमंजिला भवनों की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया आवास बन्धु ,आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन प्रथम तल जनपथ मार्केट लखनऊ के पंत्र संख्या– 311/आ0ब0–1/स0आ0यो0–डी.पी.आर./2016 लखनऊ दिनांक 09 जून ,2016 द्वारा समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत मेसर्स रतन हाउसिंग डेवलेपमेण्ट लि0 कानपुर को ग्राम बैदानी परगना बिल्हौर, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर के खसरा नं0–719 पार्ट से 731पार्ट, 747 से 749 पार्ट, 753 पार्ट, 757 पार्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित बहुमंजिली समाजवादी आवासीय भवनों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः उक्त प्रस्तावित बहुमंजिली समाजवादी आवासीय भवनों की प्रोविजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु आप द्वारा प्रार्थना नत्र दिनॉक 18.06.2016 एवं फायर सर्विस के बेव साइट पर ऑनलाइन यू.आई.डी. 2016/22372/केएनसी/कानपुर नगर/561/जेडी दिनॉक 24.06.2016 को आवेदन किया गया।

उक्त आवेदन पत्र पर संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर एवं उपनिदेशक (प्राविधिक) फायर सर्विस, परिक्षेत्र कानपुर/झॉसी द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी बिल्हौर, कानपुर नगर मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर एवं उपनिदेशक (प्राविधिक) फायर सर्विस, परिक्षेत्र कानपुर/झॉसी की आख्यानुसार :–

<u>भवन की संरचना</u> :–

1–कुल प्लाट एरिया – **40,467.92** वर्ग मीटर
2–कवर्ड एरिया निम्नवत है:–

क0 सं0	तलवार विवरण वर्गमीटर	टाईप–1	टाईप–2			टाईप–3 (शाप)	टाईप–4 प्राइमरी स्कूल
		ब्लाक ए(वर्गमी0)	ब्लाक बी (वर्गमीटर)	ब्लाक सी (वर्गमी0)	ब्लाक डी (वर्ग मी0)	ब्लाक ई(वर्ग मी0)	ब्लाक एफ (वर्ग मी0)
1	स्टिल्ट/ग्राउण्ड फलोर (पार्किंग)	3422.78	896.20	3008.76	896.20	510.00	349.56
2	प्रथम तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	510.00	349.56
3	द्वितीय तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	–	298.38
4	तृतीय तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	–	–
5	चतुर्थ तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	–	–
6	पचम तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	–	–
7	छठा तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	–	–

8	सप्तम तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	—	—
9	आठवांतल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	—	—
10	नौवां तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	—	—
11	दसवा तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	—	—
12	ग्यारहवां तल	3422.78	896.20	3008.76	896.20	—	—
13	बारहवां तल	3422.78	896.20	3008.76	—	—	—
14	मम्टी	120.30	120.30	41.76	41.76	—	—
15	मशीन रूम	77.40	77.40	23.55	23.55	—	—

3–बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया– **Nil** वर्ग मी0

4–भवन की ऊँचाई – ब्लाक ए– **36.85** मी0,
ब्लाक बी– **36.85** मी0,
ब्लाक सी– **36.85** मी,
ब्लाक डी– **34.00** मी0,
ब्लाक ई(शाप)–**3.16**मी0,
ब्लाक एफ(स्कूल)–**9.90**मी0

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की **आवासीय** भवन की (ए–4)–3 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्था :–

1.पहुॅच मार्ग– भूखण्ड के सामने मानचित्रों में **18.00** मीटर रोड की चौडाई है।
2.प्रवेश द्वार की चौडाई– 15 मीटर चौडाई का 01 प्रवेश /निकास द्वार प्रस्तावित हैं ।

3.अ–**सैटबैक** – प्रस्तावित प्रोजेक्ट के चारों तरफ निम्न सेटबैक प्रस्तावित हैः–
ए– अग्रभाग– **16.85** मी0
बी– पृश्ठभाग– **12.73** मी0
सी– पार्श्व भाग प्रथम– **12.73** मी0
डी– पार्श्व भाग द्वितीय–**12.73** मी0

ब्लाक सं0–**ए0, बी0,सी0** एवं **डी0** जो आवासीय बहुखण्डीय हैं के चारों तरफ **06** मीटर चौड़ा मोटरेबुल रोड **45** टन वाहन हेतु उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है। उक्त मोटरेबुल रोड में किसी भी प्रकार का अतिकमण स्वीकार नहीं होगा व इस मोटरेबुल रोड में **05** मीटर का हेड क्लीयरेन्स भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

ब– शापिंग काम्पलेक्स (भूतल) सेटबैक :–चारो तरफ **12** मीटर सेटबैक उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

स– प्राइमरी स्कूल का सेटबैकः–
ए– अग्रभाग– **09.00** मी0
बी– पृश्ठभाग– **03.00** मी0
सी– पार्श्व भाग प्रथम– **03.00** मी0
डी– पार्श्व भाग द्वितीय– **03.00** मी0

1–निकास मार्ग– प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक अपार्टमेण्ट हेतु वैकल्पिक सीढ़ी न्यूनतम् चौड़ाई **1.50** मीटर की प्राविधानित है व ट्रवलिंग डिस्टैन्स मानकों के अनुरूप है तथा प्राइमरी स्कूल भवन में **02** सीढ़ी प्रत्येक **1.50** मीटर चौड़ाई की प्राविधानित हैं ।
2–रिफ्यूज एरिया का विवरण– आवश्यक नहीं है।

<u>अग्नि सुरक्षा व्यवस्था</u> :– नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी प्रस्तावित/वांछित हैं:–

<u>प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्था :– **ब्लाक ए0,बी0 एवं सी0 जो 36.85 मीटर ऊँचाई की है :–**</u>

1–भूमिगत टैंक:–ग्रीन एरिया के दोनो साइडों में एक–एक लाख लीटर क्षमता के भूमिगत वाटर स्टोरेज टैंक अग्निशमन कार्य हेतु बनाया जाना प्रस्तावित है ।

2–पम्प :– **2280** एलपीएम क्षमता का एक डीजल चालित एवं **2280** एलपीएम का एक इलेक्ट्रिक चालित व **180** एलपीएम क्षमता का जॉकी पम्प के सेट दोनों भूमिगत वाटर स्टोरेज टैंकों के पास अलग–अलग लगाये जाने प्रस्तावित हैं । दोनो पम्प हाउसों को इण्टर कनेक्टेड किया जाना भी आवश्यक है जिससे एक पम्प हाउस को मेन्टीनेन्स के लिये आउट आफ आर्डर करने पर दूसरा पम्प हाउस अग्निशमन का कार्य कर सके ।

3–होजरील :– प्रत्येक लैण्डिग वाल्व के पास **30** मीटर लम्बाई की होजरील लगाया जाना आवश्यक है।

4–वेटराइजर :–ब्लाक ए में **04** अदद , ब्लाक बी में **01** अदद, ब्लाक सी में **04** अदद एवं ब्लाक डी में **01** अदद वेटराईजर प्रत्येक तल पर लैण्डिग वाल्व होज बाक्स में **15** मीटर के **02** डिलीवरी होज पाइप व **01** ब्रान्च पाइप 14 एमएम की उपलब्ध कराया जाना प्राविधानित/आवश्यक है।

5–यार्ड हाइडेण्ट:–रिंगमेन पर प्रत्येक **30** मीटर की दूरी पर यार्ड हाईडेण्ट होज बाक्स में **15** मीटर के **02** डिलीवरी होज पाइप व **01** ब्रान्च पाइप **14** एमएम सहित प्रस्तावित /आवश्यक है ।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर अलार्म:–प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर प्रत्येक राईजर के पास प्रस्तावित/आवश्यक है।

7–स्वचालित डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम:– आवश्यक नहीं है।

8–स्वचालित स्प्रिंक्लर सिस्टम :– आवश्यक नहीं है।

9–टैरेस टैंक:– प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक राईजर के टेरेस पर **5,000** लीटर क्षमता का टेरेस टैंक नानरिटर्निंग वाल्व व एयर रीलिज वाल्व के साथ लगाया जाना प्रस्तावित/आवश्यक है।

10–टेरेस पम्प :– आवश्यक नहीं है ।

प्राथमिक अग्निशमन उपकरण:–प्रत्येक लैण्डिग वाल्व के पास **02** अदद ए.बी.सी. टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता **04** किग्रा का आई.एस. मार्क लगाया जाना प्रस्तावित/आवश्यक है।

1. **स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम**:– आवश्यक नहीं है ।
2. **प्रेशराइजेशन प्रणाली**:– आवश्यक नहीं है ।
3. **एक्जिट साइनेज**:– प्राविधानित /आवश्यक है ।
4. **पी0ए0सिस्टम** :– प्राविधानित /आवश्यक है ।

<u>**ब्लाक डी– ऊँचाई 34 मीटर, की प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्था :–**</u>

1–ब्लाक डी आवासीय बहुमंजिली भवन के टेरेस पर **25,000** लीटर क्षमता का टेरेस टैंक नानरिटर्निंग वाल्व व एयर रीलिज वाल्व के साथ, **900** एलपीएम का टेरेस पम्प व भूतल पर फायर सर्विस इनलेट,डाउन कामर प्रत्येक तल पर लैण्डिग वाल्व होज बाक्स में 15 मीटर के 02 डिलीवरी होज पाइप व **01** ब्रान्च पाइप 14 एमएम की , प्रत्येक लैण्डिग वाल्व के पास 30 मीटर लम्बाई की होजरील , प्रत्येक तल पर मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एवं प्रत्येक लैण्डिग वाल्व के पास **02** अदद ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर आई.एस. मार्क क्षमता **04** किग्रा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित /आवश्यक है।

2–शापिंग काम्पलेक्स के पास रिंगमेन पर **03** हाइडेण्ट होज बाक्स के साथ लगाया जाना आवश्यक है ।

3– प्राइमरी स्कूल के टेरेस पर **10000** लीटर क्षमता का टेरेस टैंक नानरिटर्निंग वाल्व व एयर रीलिज वाल्व के साथ, **450** एलपीएम क्षमता का टेरेस पम्प व भूतल पर फायर सर्विस इनलेट, प्रत्येक तल पर होजरील एवं प्रत्येक तल पर **04** अदद ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूश्र्र आई.एस. मार्क क्षमता 06 किग्रा का लगाया जाना प्रस्तावित/आवश्यक है।

4–सभी ब्रान्च पाईप , डिलीवरी होज पाइपों की कपलिंग लैण्डिंग वाल्व एवं हाइडेण्ट आदि स्टेनलेस स्टील के आई.एस.आई. मार्क लगाये जाने आवश्यक हैं ।

अतः उपरोक्त आख्यानुसार मेसर्स रतन हाउसिंग डेवलेपमेण्ट लि0 द्वारा प्लाट सं0–719 पार्ट से 731 पार्ट, 747 से 749 पार्ट, 753पार्ट, 757पार्ट ग्राम बैदानी परगना बिल्हौर, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर पर प्रस्तावित बहुमंजिला समाजवादी आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशंनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया– 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त आवासीय बहुमंजिला भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में प्राविधानित अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा व भवन का प्रयोग असुरक्षित एवं अवैधानिक होगा ।

संलग्नक– मानचित्र ।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि 1– उप निदेशक(प्राविधिक) फायर सर्विस, परिक्षेत्र कानपुर/झॉसी को उनके पत्र संख्या : डीडीआर–केएनसी/अ0प्र0पत्र(कानपुर नगर)/2016(363) दिनॉक 06.07.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर को संलग्न मानचित्र के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित।

3– अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्र –बिल्हौर, कानपुर नगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।